



समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, भोपाल, म0प्र0।

PBR/किगरानी/भोपाल/भू.सं. 2017/2545 पुनरीक्षण प्रकरण क्र...../17

1. श्री ~~विश्व~~ ~~मि~~ ~~नारायण~~ पाराशर आत्मज स्व0 श्री मूलचन्द्र पाराशर, आयु-वयस्क, निवासी गण्डडी-27, बी0डी0ए0 कॉलोनी, कोह-ए-फिजा, भोपाल। आवेदक

अभावक श्री.....
रा आज दिनांक.....
पेश।

अपीक्षक

विरुद्ध

श्री अग्रवाल आत्मज श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी- ई-6, एम0आई0जी0 110, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। अनावेदक

25-3-17

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959



11/4/17
25-3-17

महोदय,

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना प्रशासन टी.टी. नगर वृत भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 09/अ-12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 12-05-2017, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को बिना सूचना दिये मनमाने तरीके से सीमांकन कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेख किया है, से दुःखी होकर अपीलार्थी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है-

(Handwritten signature)

71

32

(11)

महेशचरणराय गिरी (क)वाल

पञ्चमि/मोपाम/दिसा/म/२५५५

30-11-2017

आवेदक की ओर से सूचना
उपरोक्त कोई भी उपाध्यत नहीं। वीर
कारण लकाई गई, फिर भी
कोई उपाध्यत नहीं। अतः प्रमाण
अदम्य पेटकी में निरस्त किया
जाता है।

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature
अध्यक्ष